

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2021

विषय : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि संविधान के अनुच्छेद 243-घ तथा तत्क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-11क तथा धारा-12(5) और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-6क, 7क, 18क व 19क में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन हेतु, दो नियमावलियां-उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 (यथा संशोधित) एवम् उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 प्रख्यापित है। उक्त दोनों नियमावलियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों (चेयरपरसन) एवम् स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण एवम् आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

2. पंचायत सामान्य निर्वाचन में पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए सक्षम स्तर :

A. शासन स्तर :

- (i) जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन।
- (ii) विकास खण्ड के प्रमुख पदों का जनपदवार आरक्षण।

B. निदेशक, पंचायती राज स्तर :

- (i) ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का विकासखण्डवार आरक्षण।

C. जिलाधिकारी स्तर :

- (i) जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन।
- (ii) विकास खण्ड के प्रमुख पदों का आवंटन।
- (iii) विकास खण्ड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन।
- (iv) खण्डवार ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आवंटन।
- (v) ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन।

3. आरक्षण की क्रमावली निम्नवत् होगी :

- (क) अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां
- (ख) अनुसूचित जनजातियां
- (ग) अनुसूचित जातियों की स्त्रियां
- (घ) अनुसूचित जातियां
- (ङ) पिछड़े वर्गों की स्त्रियां
- (च) पिछड़े वर्ग और
- (छ) स्त्रियां

4. जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण की संगणना:

4.1 राज्य में जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्षों के पदों की संख्या की संगणना उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 19-क के उपबन्धों के अनुसार प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष, भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। परन्तु चूंकि पिछड़े वर्गों के लिए अध्यक्ष के पदों का आरक्षण अधिकतम 27 प्रतिशत अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्ष के पदों की संगणना में मात्र भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जायेगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्ष के पदों की संख्या अवधारित हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार अवधारित अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्ष के कुल पदों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

4.2 उल्लिखित क्रमावली के क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षित पदों की संख्या राज्य में भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जानी है। अर्थात् राज्य में जिला पंचायतों में से वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी। पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

4.3 उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून जिला पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आवंटित जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा। जिन जिला पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या (जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है), वे स्त्रियों को आवंटित की जायेगी। किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015 में स्त्रियों को आवंटित जिला पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेंगी।

4.4 उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिये जो जिला पंचायतें आरक्षित की गयी थीं, उन्हें आगामी निर्वाचन में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित नहीं किया जायेगा बल्कि अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाली जिला पंचायत से आरक्षण शुरू किया जायेगा।

4.5. जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की संगणना (कुल पदों की संख्या-75)

क्रम सं०	आरक्षण वर्ग	आरक्षित वर्ग की जनसंख्या का प्रदेश की जनसंख्या में अनुपात (%)	पदों की कुल संख्या का आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत का गुणांक	कुल आरक्षित पदों की संख्या	स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या (एक तिहाई से अन्यून)
1.	अनुसूचित जन जाति	0.5677	0.42	शून्य	शून्य
2.	अनुसूचित जाति	20.6982	15.52	16	6 (5.33)
3.	पिछड़ी जाति	27	20.25	20	7 (6.6)
4.	महिला	33 प्रतिशत से अन्यून	24.99	25	12
5.	अनारक्षित			27	
	कुल पद				25

नोट: अनारक्षित 27 = 75 - (16+20+12)

4.6 पदों के आवंटन हेतु प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन जिला पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई जिला पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में जिला पंचायतें अनुसूचित जाति स्त्री के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त जिला पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जाति के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए प्रदेश की जिला पंचायतों के अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन जिला पंचायतों को आरक्षित किया जायेगा, जो कि वर्ष

2015 में अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों। अगर इस प्रकार आरक्षित करते समय यदि किसी मण्डल की समस्त जिला पंचायतें अनुसूचित जाति की श्रेणी में आरक्षित हो जाती हैं तो उस मण्डल के समस्त जिलों को कुल आबादी के आरोही क्रम में लगाते हुए उस जिले को अनारक्षित कर दिया जायेगा जिसकी आबादी सबसे कम है।

4.7 इसी प्रकार पिछड़ी जाति के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जिला पंचायतों को हटाते हुए शेष बची जिला पंचायतों को पिछड़ी जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन जिला पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी पिछड़ी जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। आवंटित जिला पंचायतों में ऊपर से पिछड़ी जाति महिला पदों के लिए आरक्षित कर दी जायेगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त जिला पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और प्रदेश में पिछड़ी जाति के जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए शेष बची हुई जिला पंचायतों को पिछड़ी जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन जिला पंचायतों को अब आरक्षित किया जाएगा जो कि वर्ष 2015 में पिछड़ी जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों। अगर इस प्रकार आरक्षित करते समय यदि किसी मण्डल की समस्त जिला पंचायतें पिछड़ी जाति की श्रेणी में आरक्षित हो जाती हैं तो उस मण्डल के समस्त जिलों को कुल आबादी के आरोही क्रम में लगाते हुए उस जिले को अनारक्षित कर दिया जायेगा जिसकी आबादी सबसे कम है।

4.8 स्त्रियों के लिए आरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आवंटन प्रदेश की जिला पंचायतें, जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो चुकी हैं उनको हटाते हुए जो शेष हैं, उन्हें सामान्य की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाया जायेगा। सर्वप्रथम स्त्री पद का आवंटन उन जिला पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी स्त्री श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त जिला पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और प्रदेश में स्त्री श्रेणी के जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए प्रदेश में शेष जिला पंचायतों को सामान्य की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उन जिला पंचायतों को अब आरक्षित किया जाएगा, जो वर्ष 2015 में स्त्री श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हैं। अगर इस प्रकार आरक्षित करते समय यदि किसी मण्डल की समस्त जिला पंचायतें स्त्री श्रेणी में आरक्षित हो जाती हैं तो उस मण्डल के समस्त जिलों को कुल आबादी के आरोही क्रम में लगाते हुए उस जिले को अनारक्षित कर दिया जायेगा, जिसकी आबादी सबसे कम है।

5. विकास खण्ड के प्रमुख पदों के आरक्षण की संगणना:

5.1 राज्य स्तर पर क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 7-क के उपबन्धों के अनुसार प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष, भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु चूंकि पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुख के पदों का आरक्षण अधिकतम 27 प्रतिशत अनुमन्य है, इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख के पदों की संगणना में मात्र भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जायेगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या अवधारित हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार अवधारित प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल प्रमुखों के पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये

जायेंगे। प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख के कुल पदों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

5.2. राज्य स्तर पर खण्डों में प्रमुखों के पदों के आरक्षण की संगणना (कुल पदों की संख्या-826)

क्र०सं०	आरक्षण वर्ग	आरक्षित वर्ग की जनसंख्या का प्रदेश की जनसंख्या में अनुपात (%)	पदों की कुल संख्या का आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत का गुणांक	कुल आरक्षित पदों की संख्या
1.	अनुसूचित जन जाति	0.5677	4.68	5
2.	अनुसूचित जाति	20.6982	170.96	171
3.	पिछड़ी जाति	27	223.02	223

5.3 इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों हेतु संगणित प्रमुखों के पदों की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिये जिले को ईकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात उपर्युक्तानुसार राज्य में संगणित प्रमुखों के पदों की संख्या से यथासाध्य वही होगा जो जिले में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या का राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या से है।

उदाहरण:-यदि किसी जनपद में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है तो राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के संगणित 5 पदों के 20 प्रतिशत अर्थात् 1 पद उस जनपद के लिए आरक्षित किया जायेगा।

5.4 प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी :-

$$\text{जिला में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या} = \frac{\text{जिलों में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या} \times \text{जिला में अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जिला की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के संगणित पदों की संख्या यदि जिले की कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या के 20.6982 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसे 20.6982 प्रतिशत तक सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं जिलों में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20.6982 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे जिले को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा

तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण : सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम 20.6982 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी। इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे जिलों जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 20.6982 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी जिले में प्रमुखों के कुल पदों की संख्या 10 तथा अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 24.00 हो तो भी सर्वप्रथम जिले में प्रमुखों के कुल पदों के 20.6982 प्रतिशत पद अर्थात् 2 पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों अर्थात् 171 पदों में आने वाली कमी को, इस जिले सहित ऐसे सभी जिलों जहाँ अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 20.6982 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

5.5 इसी प्रकार प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जायेगी :-

$$\begin{array}{l} \text{जिले में कुल क्षेत्र पंचायतों की} \\ \text{संख्या} \times \text{जिला में पिछड़े वर्गों} \\ \text{की ग्रामीण जनसंख्या} \\ \text{जिला में पिछड़े वर्गों के लिए} \\ \text{आरक्षित किये जाने वाले} \\ \text{प्रमुखों के पदों की संख्या} \end{array} = \frac{\text{जिला की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जिला की कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के संगणित पदों की संख्या यदि जिले की कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या के 27.00 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसे 27.00 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं जिलों में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या का जिले की ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात जो वर्ष 2015 के त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार 53.33 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे जिलों को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जब तक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण : सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम 27.00 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी। इसके उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे जिलों जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.33 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी जिले में प्रमुखों के कुल पदों की संख्या 10 तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 35.00 हो तो भी सर्वप्रथम जिले में प्रमुखों के कुल पदों की संख्या का 27.00 प्रतिशत अर्थात् 2 पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों अर्थात् 223 पदों में आने वाली कमी को, ऐसे सभी जिलों जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.33 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

आरक्षित प्रमुख पदों का आवंटन व चक्रानुक्रम

5.6 प्रस्तर-3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या उस जिले में भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस जिले की क्षेत्र पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी, अनुसूचित जातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

5.7 प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की किसी क्षेत्र पंचायत में जनसंख्या दो व्यक्ति से कम हो तो ऐसे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

5.8 अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जायेगी।

5.9 उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आवंटित प्रमुखों के पदों को सम्मिलित करते हुए जिले में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रमुखों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा। किन्तु इस प्रकार कि जिन क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सामान्य वर्ग की अधिक जनसंख्या, (जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है), हो, वे उनको आवंटित की जायेगी, किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015 में स्त्रियों को आवंटित क्षेत्र पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेगी।

5.10 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में अगर कोई पद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व स्त्रियों के लिए अभी तक आरक्षित नहीं हुआ है, तो उन्हें सर्वप्रथम उस श्रेणी के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं क्रमावली के अनुसार सर्वप्रथम वह पद महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा।

5.11 उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2021 के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिये जिन क्षेत्र पंचायतों को आरक्षित किया गया था, उन्हें आगामी निर्वाचन में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित नहीं किया जायेगा बल्कि वर्ग के लिए तैयार किये गये अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाली क्षेत्र पंचायत से आरक्षण शुरू किया जायेगा।

5.12 पदों के आवंटन के लिए जनपद की समस्त क्षेत्र पंचायतों को अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी भी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवंटित

नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई क्षेत्र पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में क्षेत्र पंचायतें अनुसूचित जनजाति स्त्री के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए जिले की क्षेत्र पंचायतों के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन क्षेत्र पंचायतों को आरक्षित किया जायेगा, जो कि वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों।

5.13 पदों के आवंटन के लिए जनपद की समस्त क्षेत्र पंचायतों को अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई क्षेत्र पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में क्षेत्र पंचायतें अनुसूचित जाति स्त्री के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जाति के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए जिले की क्षेत्र पंचायतों को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन क्षेत्र पंचायतों को आरक्षित किया जायेगा, जो कि वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों।

5.14 पदों के आवंटन के लिए इसी प्रकार पिछड़ी जाति के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के आवंटन के लिए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित क्षेत्र पंचायतों को हटाते हुए शेष बची क्षेत्र पंचायतों को पिछड़ी जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी पिछड़ी जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित क्षेत्र पंचायतों में ऊपर से पिछड़ी जाति महिला पदों के लिए आरक्षित कर दी जायेगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और प्रदेश में पिछड़ी जाति के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए शेष बची हुई क्षेत्र पंचायतों को पिछड़ी जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन क्षेत्र पंचायतों को आरक्षित किया जाएगा जो कि वर्ष 2015 में पिछड़ी जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों।

5.15 पदों के आवंटन के लिए स्त्री के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आवंटन जिले की क्षेत्र पंचायतें, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो चुकी हैं उनको हटाते हुए जो शेष हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाया जायेगा। सर्वप्रथम स्त्री पद का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी स्त्री श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और जनपद में स्त्री श्रेणी के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए जिले में शेष क्षेत्र पंचायतों को सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उन क्षेत्र पंचायतों को आरक्षित किया जाएगा, जो वर्ष 2015 में स्त्री श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हैं।

6. राज्य में प्रधान पदों के आरक्षण की गणना :

6.1 राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 11-क के उपबन्धों के अनुसार राज्य में उनकी जनसंख्या का कुल जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। यह गणना इस प्रकार की जायेगी कि यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष, भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु चूंकि पिछड़े वर्गों के लिए प्रधान के पदों का आरक्षण अधिकतम

27 प्रतिशत अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले प्रधान के पदों की संगणना में मात्र भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जायेगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या अवधारित हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार अवधारित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। इस प्रकार इन जातियों/वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में प्रधानों के कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान के कुल पदों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

उदाहरण : वर्तमान में प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतें 58194 हैं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का 0.5677 % है। अतः प्रदेश में प्रधानों के पदों की कुल संख्या का 0.5677 % पद अर्थात् 330 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। इसी प्रकार प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में 20.6982 प्रतिशत है, अतः प्रधान के कुल पदों में 20.6982 % यानि कि 12045 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। पिछड़े वर्ग के लिए प्रधान के कुल पदों का अधिकतम 27 % जो कि 15712 बनता है, आरक्षित होंगे। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाएंगे।

6.2 राज्य में ग्राम प्रधानों के पदों की श्रेणीवार आरक्षण की संगणना (कुल पदों की संख्या-58194)

क्रम सं०	आरक्षण वर्ग	आरक्षित वर्ग की जनसंख्या का प्रदेश की जनसंख्या में अनुपात (%)	पदों की कुल संख्या का आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत का गुणांक	कुल आरक्षित पदों की संख्या
1.	अनुसूचित जन जाति	0.5677	330.36	330
2.	अनुसूचित जाति	20.6982	12045.11	12045
3.	पिछड़ी जाति	27	15712.38	15712

6.3 विकास खण्ड में प्रधान पदों के आरक्षण की गणना:

किसी खण्ड (ब्लॉक) में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी:-

$$\text{खण्ड (ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान के पदों की संख्या} = \frac{\text{खण्ड (ब्लॉक) में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या} \times \text{खण्ड (ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{खण्ड (ब्लॉक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लॉक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 0.5677 % से अधिक आती हैं तो उसे 0.5677 % तक सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लॉक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लॉक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड ब्लॉक की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0.5677 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लॉक) को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जब तक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण:-सर्वप्रथम प्रत्येक खण्ड ब्लॉक में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम 0.5677 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी। इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे खण्डों (ब्लॉक) जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 0.5677 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी खण्ड (ब्लॉक) में प्रधानों के कुल पदों की संख्या 100 तथा खण्ड में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 5 हो तो भी सर्वप्रथम खण्ड (ब्लॉक) में प्रधानों के कुल पदों के 0.5677 प्रतिशत पद अर्थात् 1 पद की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए संगणित पदों अर्थात् 330 पदों में आने वाली कमी को इस खण्ड (ब्लॉक) सहित ऐसे सभी खण्डों (ब्लॉक) जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 0.5677 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।”

6.4 विकास खण्ड ब्लॉक में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के 12045 पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी:-

$$\text{खण्ड (ब्लॉक) में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या} = \frac{\text{खण्ड (ब्लॉक) में अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{खण्ड (ब्लॉक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लॉक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 20.6982 प्रतिशत से अधिक आती हैं तो उसे 20.6982 प्रतिशत तक सीमित रखा जायेगा।

उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लॉक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लॉक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड (ब्लॉक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20.6982 है, से अधिक हो।

पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लाक) को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण :सर्वप्रथम प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम 20.6982 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी। इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे खण्डों (ब्लाक) जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 20.6982 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के कुल पदों की संख्या 100 तथा अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 25.00 हो तो भी सर्वप्रथम खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के कुल पदों के 20.6982 प्रतिशत पद अर्थात् 21 पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों अर्थात् 12045 पदों में आने वाली कमी को, इस खण्ड (ब्लाक) सहित ऐसे सभी खण्डों (ब्लाक) जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 20.6982 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

6.5 विकास खण्ड (ब्लाक) में पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के 15712 पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जायेगी:-

$$\begin{array}{l} \text{खण्ड (ब्लाक) में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या} \\ \times \text{ खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों} \\ \text{की ग्रामीण जनसंख्या} \\ \hline \text{खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों} \\ \text{के लिए आरक्षित किये जाने} = \frac{\quad}{\quad} \\ \text{वाले प्रधानों के पदों की संख्या} \\ \text{खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या} \end{array}$$

परन्तु इस प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसे 27.00 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लाक) की ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लाक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड (ब्लाक) की ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2015 के त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार 53.33 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लाक) को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण : सर्वप्रथम प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम 27.00 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी। इसके उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे खण्डों (ब्लाक) जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.33 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के कुल पदों की संख्या 100 तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 35.00 हो तो भी सर्वप्रथम खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के कुल पदों के 27.00

प्रतिशत अर्थात् 27 पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों अर्थात् 15712 पदों में आने वाली कमी को ऐसे सभी खण्डों (ब्लाक) जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.33 से अधिक है, में 1-1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

7. खण्ड के अन्तर्गत प्रधान के पदों का आवंटन :

7.1 अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस खण्ड (ब्लाक) में भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, किन्तु इस प्रकार कि, जहाँ तक हो सके, पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी, अनुसूचित जातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

7.2 प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या दो व्यक्ति से कम हो तो ऐसे पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान का पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

7.3 उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत के प्रधानों के पदों के एक तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे।

7.4 उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आवंटित प्रधानों के पदों को सम्मिलित करते हुए खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रधानों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जिन ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सामान्य वर्ग की अधिक जनसंख्या, (जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है), वे उनको आवंटित की जायेगी, किन्तु इस प्रकार कि, जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 में स्त्रियों को आवंटित ग्राम पंचायतों को आवंटित नहीं की जायेंगी। सामान्य जनसंख्या का अवरोही क्रम बनाने में यदि एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सामान्य जनसंख्या समान अथवा शून्य हो तो उस दशा में ऐसी ग्राम पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पदों का आवंटन किया जायेगा।

उदाहरण :

खण्ड (ब्लाक) के लिये आरक्षित पदों को विभिन्न ग्राम पंचायतों में आवंटन करने हेतु सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या क्रमावली के अनुसार उपर्युक्तानुसार व्यवस्थित ग्राम पंचायतों में

आवंटित की जायेगी परन्तु, जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत, पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी। स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों का आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या का ग्राम पंचायतवार अवरोही क्रम तैयार किया जायेगा तथा इस प्रकार तैयार किये गये अवरोही क्रम में अधिक सामान्य जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें स्त्रियों को आवंटित की जायेगी परन्तु जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों 1995, 2000, 2005, 2010 एवं वर्ष 2015 में स्त्रियों को आवंटित ग्राम पंचायतें पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेंगी।

7.5 प्रधान के पदों के आवंटन के लिए खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी भी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई ग्राम पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जनजाति के ग्राम प्रधान पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए खण्ड की ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन ग्राम पंचायतों को अब आरक्षित किया जायेगा, जो कि वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों।

7.6 खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई ग्राम पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए खण्ड की ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन ग्राम पंचायतों को अब आरक्षित किया जायेगा, जो कि वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों।

7.7 खण्ड में पिछड़ी जाति के ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आवंटन के लिए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित ग्राम पंचायतों को हटाते हुए शेष बची ग्राम पंचायतों को पिछड़ी जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी पिछड़ी जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित ग्राम पंचायतों में ऊपर से एक तिहाई से अन्यून संख्या में पिछड़ी जाति महिला पदों के लिए आरक्षित कर दी जायेगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और खण्ड में पिछड़ी जाति के ग्राम प्रधान के पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए शेष बची हुई ग्राम पंचायतों को पिछड़ी जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में उन ग्राम पंचायतों को अब आरक्षित किया जाएगा जो कि वर्ष 2015 में पिछड़ी जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों।

7.8 स्त्री के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधान पदों का आवंटन खण्ड की ग्राम पंचायतें, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो चुकी हैं उनको हटाते

हुए जो शेष हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाया जायेगा। सर्वप्रथम स्त्री पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी स्त्री श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और खण्ड में स्त्री श्रेणी के ग्राम प्रधान पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए खण्ड में शेष ग्राम पंचायतों को सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उन ग्राम पंचायतों को अब आरक्षित किया जाएगा, जो वर्ष 2015 में स्त्री श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हैं।

7.9 उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आवंटन के दौरान यदि दो जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के समान प्रतिशत होने की दशा में जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों को अकारादि क्रम में क्रमांकित किया जायेगा और कम क्रमांक वाली जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत को आरक्षित किया जायेगा।

8. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (स्थानों) का आरक्षण :

8.1 ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की संगणना, उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 5 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6-क तथा 18-क के उपबन्धों के अनुरूप, निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। संगणना करने में यदि शेष भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ जायेगा तथा यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु पिछड़े वर्गों के लिये पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या के अधिकतम 27 प्रतिशत स्थानों पर आरक्षण अनुमत्त है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संगणना में भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जाएगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा :-

$$\frac{\text{पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या}}{\text{पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या}} = \frac{\text{पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या} \times \text{पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या}}{\text{पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या}}$$

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये संगणित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए पंचायत क्षेत्र के कुल स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले कुल स्थानों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

8.2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (स्थानों) का आवंटन

सर्वप्रथम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या/परिवारों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की कुल जनसंख्या/परिवारों की संख्या में से आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों) की जनसंख्या को घटाकर सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। यदि एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या समान हो तो कम क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को अवरोही क्रम में पहले रखा जायेगा तथा अधिक क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को अवरोही क्रम में बाद में रखा जायेगा। इसी प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में किसी आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या शून्य हो तो कम क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को अवरोही क्रम में पहले तथा अधिक क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को बाद में रखा जायेगा।

8.3 यदि किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की या अनुसूचित जातियों की या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के या अनुसूचित जातियों के या पिछड़े वर्गों के परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम अवधारित किया जा सकता है।

8.4 यदि किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता है तो प्रस्तर-3 के क्रमावली में उल्लिखित क्रम का अनुसरण इस तरह किया जायेगा मानों, यथास्थिति, इसमें अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों का कोई निर्देश न हो।

8.5 अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये संगणित आरक्षित स्थानों की संख्या प्रस्तर-3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को इन जातियों/वर्गों की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम के आधार पर आवंटित की जायेगी यानि किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा और पिछड़े वर्गों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा।

8.6 स्त्रियों के लिये आवंटित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को सम्मिलित करते हुए कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे, किन्तु इस प्रकार कि जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में सबसे अधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या/परिवारों की संख्या सम्मिलित नहीं है, वे स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे।

8.7 यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पर, यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े

वर्गों के लिये केवल एक स्थान आरक्षित किया जा सकता है तो वह स्थान यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्री का होगा। किसी आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी के अवरोही क्रम में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में उस वर्ग की अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या शून्य होने पर भी उस वर्ग के लिये आरक्षित स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को अवरोही क्रम में आवंटित किये जायेंगे।

8.8 पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन प्रस्तर-8 में दी गयी रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2015) में, अनुसूचित जनजातियों को आवंटित था, वह अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों को आवंटित था, वह अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पिछड़े वर्गों को आवंटित था, वह पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र स्त्रियों को आवंटित था, वह स्त्रियों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

8.9 पंचायत क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति की आबादी/परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन पंचायत क्षेत्रों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी भी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई पंचायत क्षेत्रों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में पंचायत क्षेत्र अनुसूचित जनजाति स्त्री के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त पंचायत क्षेत्र एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जनजाति के पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए पंचायत क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उन पंचायत क्षेत्रों को अब आरक्षित किया जायेगा, जो कि वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के उपरान्त आवंटन शेष रह जाता है और वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र शेष नहीं रह जाता है तो वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः उसी वर्ग में आरक्षित किया जा सकेगा।

8.10 पंचायत क्षेत्रों को अनुसूचित जाति की आबादी/परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन पंचायत क्षेत्रों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई पंचायत क्षेत्रों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में पंचायत क्षेत्र अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त पंचायत क्षेत्र एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए पंचायत क्षेत्रों को अनुसूचित जाति की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उन पंचायत क्षेत्रों को अब आरक्षित किया जायेगा, जो कि वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के उपरान्त आवंटन शेष रह जाता है और वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र शेष नहीं रह जाता है तो वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः उसी वर्ग में आरक्षित किया जा सकेगा।

8.11 इसी प्रकार पिछड़ी जाति के पंचायत पदों के आवंटन के लिए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पंचायत क्षेत्रों को हटाते हुए शेष बची पंचायत क्षेत्रों को पिछड़ी जाति की आबादी/ परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन पंचायत क्षेत्रों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी पिछड़ी जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित पंचायत क्षेत्रों में ऊपर से पिछड़ी जाति महिला पदों

के लिए आरक्षित कर दी जायेगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त पंचायत क्षेत्र एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए शेष बची हुई पंचायत क्षेत्रों को पिछड़ी जाति की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उन क्षेत्र पंचायतों को अब आरक्षित किया जाएगा जो कि वर्ष 2015 में पिछड़ी जाति श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हों। इस प्रकार आवंटन के उपरान्त आवंटन शेष रह जाता है और वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र शेष नहीं रह जाता है तो वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः उसी वर्ग में आरक्षित किया जा सकेगा।

8.12 स्त्री के लिए आरक्षित पंचायत क्षेत्र पदों के आवंटन के लिए पंचायत क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो चुकी हैं उनको हटाते हुए जो शेष हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाया जायेगा। सर्वप्रथम स्त्री पद का आवंटन उन पंचायत क्षेत्रों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी स्त्री श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त पंचायत क्षेत्र एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और पदों का आवंटन शेष है तो उसके लिए शेष पंचायत क्षेत्रों को सामान्य वर्ग की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उन पंचायत क्षेत्रों को अब आरक्षित किया जाएगा, जो वर्ष 2015 में स्त्री श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के उपरान्त आवंटन शेष रह जाता है और वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र शेष नहीं रह जाता है तो वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः उसी वर्ग में आरक्षित किया जा सकेगा।

8.13 पंचायतों में नये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य यह होगा कि उस क्रम संख्या का वार्ड, जो पूर्ववर्ती निर्वाचन, 2015 में अस्तित्व में नहीं था, यानि कि नए क्रमांक का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गठित किया गया है। पंचायतों के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के स्थानों का अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला का आवंटन प्रस्तर-3 में दी गई क्रमावली के अनुसार किया जाएगा। किसी एक श्रेणी में आरक्षण करने के लिए सर्वप्रथम उन वार्डों को उस श्रेणी में आरक्षित किया जाएगा जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में उस श्रेणी में कभी आरक्षित नहीं रहे हों लेकिन इस चक्र में "नये वार्ड" को शामिल नहीं किया जाएगा। इस चक्र के बाद अगर इस श्रेणी में आवंटन हेतु पद शेष रह जाते हैं तो शेष वार्ड जिसमें नये वार्डों को सम्मिलित करते हुए उस श्रेणी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए उन वार्डों को आरक्षित किया जाएगा, जो वर्ष, 2015 में उस श्रेणी में आरक्षित न रहे हों।

9. उपर्युक्तानुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में स्थानों और प्रधानों के पदों के आवंटन का प्रस्ताव तथा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या एवम् ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और सामान्य जनसंख्या के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम का विवरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर जनसाधारण की सूचना हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगातार 3 दिवस तक प्रदर्शित किया जायेगा। कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति हो वह प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि को सम्मिलित करते हुए प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रस्तावित आवंटन/आरक्षण के विरुद्ध आपत्ति विकासखण्ड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

आपत्ति प्राप्त करने की अवधि की समाप्ति के अगले दिन समस्त आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर आगामी दो दिवस के अन्दर प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत | सदस्य |
| 4. जिला पंचायत राज अधिकारी | सदस्य सचिव |

उपर्युक्तानुसार आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त आरक्षित स्थानों और पदों के आवंटन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रूप देते हुए आवंटित स्थानों और पदों की सूची को पुनः उपर्युक्त कार्यालयों के सूचना पट पर दो दिवसों तक प्रदर्शित किया जाएगा और आवंटित पदों और स्थानों का प्रारूप 1, 2, 3 तथा 4 पर विवरण की हार्ड कॉपी की दो प्रतियां एम0एस0 एक्सेल पर सीडी

सहित निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश को दिनांक 16.03.2021 तक उपलब्ध कराई जाएगी और उक्त विवरण की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

10. पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के आरक्षण से सम्बन्धित समय सारिणी परिशिष्ट 'क' पर है।
संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या :12/2021/324 /33-3-2021-62/2020टी.सी. तद्विनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टॉफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
8. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. पंचायतीराज अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार)
विशेष सचिव

पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु शासनादेश संख्या-12/2021/324/ 33-3-2021-62/2020 दिनांक-11 जनवरी,
2021

क्र० सं०	कार्यवाही	तिथियाँ
		ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत
1.	शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण व आवंटन निर्गत किया जाना। शासन द्वारा क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जनपदवार आरक्षण चार्ट निर्गत किया जाना। निदेशालय द्वारा विकास खण्डवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाना।	11.02.2021 से 15.02.2021
2.	निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा अपर मुख्य अधिकारियों का प्रशिक्षण।	16.02.2021 से 17.02.2021
3.	जनपद स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण।	18.02.2021 से 19.02.2021
4.	जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना।	20.02.2021 से 01.03.2021
5.	शासनादेश संख्या- 12/2021/324/ 33-3-2021-62/2020 दिनांक-11 जनवरी, 2021 में उल्लिखित निर्दिष्ट स्थलों पर ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन।	02.03..2021 से 03.03.2021
6.	प्रस्तावों पर आपत्तियाँ प्राप्त किया जाना	04.03.2021 से 08.03.2021
7.	आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण।	09.03.2021
8.	आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश दिनांक-11.02.2021 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अन्तिम रूप से सूची तैयार किया जाना।	10.03.2021 से 12.03.2021
9.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की अन्तिम सूची का प्रकाशन।	13.03.2021 से 14.03.2021
10.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायती राज निदेशालय को शासनादेश दिनांक-11.02.2021 में उल्लिखित प्रारूप पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना उपलब्ध कराया जाना।	15.03.2021

प्रारूप-1

ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के आरक्षण का आवंटन

जनपद :

विकास खण्ड :

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रधान पदों के आवंटन का विवरण							
		अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियाँ	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ह0/
जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप-2

ग्राम पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जनपद.....

विकास खण्ड का नाम.....

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
			क्रमांक	नाम		मकान नम्बर.....स्थान.....से मकान नम्बर.....स्थान.....तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ह0/
जिला मजिस्ट्रेट

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जनपद.....

क्षेत्र पंचायत.....

क्र.सं.	क्षेत्र पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
		क्रमांक	नाम		शा0पं0.....के वार्ड सं0.....से शा0 पं0.....के वार्ड सं0.....तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियां
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ह0/
जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप-4

जिला पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जनपद.....

क्र.सं.	जिला पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
		क्रमांक	नाम		क्षेत्रप0.....की ग्राम पंचायत.....के वार्ड सं0.....से क्षेत्र पंचायत.....की ग्राम पंचायत.....के वार्ड सं0.....तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियां
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ह0/
जिला मजिस्ट्रेट

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।